Journal of Science and Research Innovations

Volume - 4, Issue - 1, June 2026, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

Received: 25-05-2026 **Revised**: 27-05-2026 **Accepted**: 30-05-2026

महिलाओं के विरुद्ध दहेज संबंधी उत्पीड़न का विश्लेषणात्मक अध्ययन – रीवा जिले के विशेष संदर्भ में

*** डॉ. सप्तमुनि द्विवेदी**
फैकल्टी
विधि विभाग
अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा

**** प्रांशी मिश्रा**
शोधार्थी
एल–एल.एम.
अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा

सारांश

यह शोध कार्य रीवा जिले में दहेज प्रथा से संबंधित महिलाओं के उत्पीड़न का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है। मैदान सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि दहेज प्रथा आज भी महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण है।

शब्द कुंजी :दहेज, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा,सामाजिक समस्या, ग्रामीण समाज

परिकल्पना

- दहेज प्रथा महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण है
- ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज उत्पीड़न अधिक है
- आर्थिक और सामाजिक दबाव दहेज को बढ़ावा देते हैं

संक्षिप्त परिकल्पना

दहेज के कारण महिलाओं को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है।

प्रस्तावना

- डिजिटल साक्ष्य की अवधारणा
- डिजिटल साक्ष्य जैसे मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्डिंग आदि आज दहेज मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- डिजिटल युग में साक्ष्य का महत्व
- मैदान सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदात्रियों के अनुसार, चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग केस में सहायक होती हैं।
- पारंपरिक एवं डिजिटल साक्ष्य में अंतर
- पारंपरिक / गवाह, दस्तावेज

- डिजिटल/ चौट, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड
- डिजिटल साक्ष्य की प्रकृति
- यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित साक्ष्य होते हैं जो न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

प्राथमिक डेटा

यह अध्ययन रीवा जिले के विभिन्न गांवों जैसे चोरहटा, सिरमौर एवं मऊगंज में जाकर किया गया।

- मैदान सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदात्रियों के अनुसारः
- 70 प्रति. महिलाओं ने दहेज के लिए मानसिक उत्पीड़न बताया।
- 45 प्रति. मामलों में शारीरिक हिंसा भी शामिल थी।
- कई मामलों में विवाह के बाद दहेज की मांग बढ़ी।

शोध का उद्देश्य

- दहेज उत्पीड़न के कारणों का अध्ययन करना
- महिलाओं पर इसके प्रभाव को समझना
- समाज में जागरूकता बढ़ाना

शोध की विशेषताएँ

इस शोध कार्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं–

1. यह शोध पूर्णतः मैदान सर्वेक्षण पर आधारित है।
2. इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है।
3. शोध में रीवा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया गया, जिससे वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
4. इसमें साक्षात्कार, अवलोकन एवं केस स्टडी विधि का प्रयोग किया गया है।
5. यह शोध वास्तविक घटनाओं एवं उत्तरदात्रियों के अनुभवों पर आधारित है।
6. शोध में दहेज उत्पीड़न के सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है।
7. इसमें सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे समझने में आसानी हो।
8. यह शोध समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया गया है।
9. अध्ययन में स्थानीय स्तर (रीवा जिला) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

Case

मामले का नाम: Smt. Pooja Patel vs Amit Patel (2023)

- वादी– पूजा पटेल
- प्रतिवादी– अमित पटेल
- गांवः सिरमौर, रीवा

तथ्यः

मैदान सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदात्री ने बताया कि विवाह के बाद ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर वादी के साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया।

कार्यवाही –

वादी द्वारा महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई।

निष्कर्ष–

यह मामला दर्शाता है कि दहेज के कारण घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं।

महत्वपूर्ण केस

Case– 1 (मुख्य मामला)

मामले का नाम– Smt- Sunita Mishra vs Rakesh Mishra (2022)

- वादी –सुनीता मिश्रा
- प्रतिवादी –राकेश मिश्रा एवं परिवार
- गांवः चोरहटा, रीवा

तथ्य –

मैदान सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदात्री के अनुसार, वादी का विवाह वर्ष 2020 में हुआ था। विवाह के समय ₹2,00,000 नकद एवं घरेलू सामान दहेज में दिया गया।

विवाह के कुछ समय बाद प्रतिवादी द्वारा मोटरसाइकिल एवं ₹1,00,000 अतिरिक्त की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर वादी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

कार्यवाही –

वादी द्वारा थाना चोरहटा में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर IPC धारा 498। के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

निष्कर्ष – यह मामला स्पष्ट करता है कि दहेज प्रथा महिलाओं के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है।

Case – 2

मामले का नाम– Smt. Pooja Patel vs Amit Patel (2023)

- वादी–पूजा पटेल
- प्रतिवादी– अमित पटेल
- गांवः सिरमौर, रीवा

तथ्य –

मैदान सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदात्री ने बताया कि विवाह के बाद ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर वादी के साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया।

कार्यवाही–

वादी द्वारा महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। निष्कर्षः यह मामला दर्शाता है कि दहेज के कारण घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं।

Research का विश्लेषण

प्रस्तुत Research में एकत्रित प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर दहेज उत्पीड़न की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्नलिखित है–

1. दहेज मांग की प्रवृत्तिः

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दहेज की मांग विवाह के पश्चात भी निरंतर जारी रहती है तथा कई मामलों में समय के साथ बढ़ती जाती है।

2. उत्पीड़न के प्रकारः

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 70 प्रति. मामलों में मानसिक उत्पीड़न तथा 40–45ः मामलों में शारीरिक हिंसा पाई गई।

3. शिकायत दर्ज कराने की स्थितिः

विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश महिलाएं सामाजिक दबाव, भय एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करातीं।

4. आर्थिक स्थिति का प्रभावः

अध्ययन में पाया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं दहेज उत्पीड़न का अधिक शिकार होती हैं।

5. शैक्षिक स्तर का प्रभावः

कम शिक्षित उत्तरदात्रियों में कानूनी जागरूकता का अभाव पाया गया, जिससे वे अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पातीं।

6. सामाजिक कारकों की भूमिकाः

समाज में दहेज प्रथा को परंपरा के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण यह समस्या बनी रहती है।

7. कानूनी जागरूकता का स्तरः

अधिकांश उत्तरदात्रियों को दहेज विरोधी कानूनों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी।

मैदान सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदात्रियों के अनुसार, दहेज प्रथा समाज में गहराई से व्याप्त है और इसके कारण महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

अतः समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि दहेज उत्पीड़न एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जिसके समाधान हेतु सामाजिक जागरूकता, शिक्षा एवं प्रभावी कानूनी क्रियान्वयन आवश्यक है।

हाल ही के विकास

प्रस्तुत Research के संदर्भ में दहेज उत्पीड़न से संबंधित क्षेत्र में हाल के समय में कुछ महत्वपूर्ण विकास हुए हैं–

1. दहेज विरोधी कानूनों के सख्त पालन पर जोर दिया जा रहा है।

2. महिलाओं के लिए 1091 एवं 181 जैसी हेल्पलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं।

3. ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा बढ़ी है।

4. जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

5. महिला सशक्तिकरण योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- मैदान सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदात्रियों के अनुसार, इन प्रयासों के बावजूद जागरूकता की कमी अभी भी बनी हुई है।

अतः कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में सुधार हुआ है, परंतु और प्रयासों की आवश्यकता है।

चुनौतियां

प्रस्तुत Research के संदर्भ में दहेज उत्पीड़न को रोकने में निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियां सामने आई हैं

1. सामाजिक दबावः

महिलाएं बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं करतीं।

2. कानूनी प्रक्रिया में देरीः

मामलों के निपटारे में अधिक समय लगता है।

3. आर्थिक निर्भरताः

महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण विरोध नहीं कर पातीं।

4. शिक्षा एवं जागरूकता की कमी :

महिलाओं को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती।

5. सामाजिक परंपराएं :

दहेज को परंपरा मानकर स्वीकार किया जाता है।

मैदान सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदात्रियों के अनुसार, ये चुनौतियां दहेज उत्पीड़न को समाप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।

अतः इन समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक जागरूकता एवं प्रभावी कानूनी क्रियान्वयन आवश्यक है।

वैधता की शर्तें

1. दहेज उत्पीड़न से संबंधित जानकारी वास्तविक पीड़ित महिलाओं से प्राप्त की गई हो।

2. अध्ययन में केवल रीवा जिले के चयनित क्षेत्रों को शामिल किया गया हो।

3. दहेज मांग एवं उत्पीड़न से जुड़े तथ्यों को सही एवं प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत किया गया हो ।

4. डेटा संग्रह में साक्षात्कार एवं केस स्टडी विधि का उचित उपयोग किया गया हो।

5. प्राप्त जानकारी का तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया हो, न कि व्यक्तिगत विचारों पर आधारित ।

सुझाव

1. दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

2. महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाए।

3. दहेज मामलों में कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. महिलाओं को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए।

5. समाज में दहेज प्रथा के प्रति नकारात्मक सोच विकसित की जाए।

मैदान सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि जागरूकता एवं शिक्षा से इस समस्या को कम किया जा सकता है।

अपनी राय में

मेरी राय में दहेज प्रथा समाज के लिए एक गंभीर समस्या है, जो महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण बनती है। यह प्रथा न केवल महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि उनके जीवन को भी असुरक्षित बनाती है। मैदान सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जागरूकता की कमी, सामाजिक दबाव एवं आर्थिक निर्भरता इस समस्या को बढ़ाते हैं। अतः मेरी राय में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता, शिक्षा एवं कठोर कानूनी कार्यवाही आवश्यक है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत Research के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दहेज प्रथा आज भी समाज में एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है।

मैदान सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि दहेज की मांग विवाह के बाद भी जारी रहती है, जिसके कारण महिलाओं को मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता एवं जागरूकता की कमी इस समस्या को और अधिक बढ़ाते हैं।

अतः दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता, शिक्षा एवं प्रभावी कानूनी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

परिणाम

प्रस्तुत Research के आधार पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए –

1. दहेज उत्पीड़न की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई गई।
2. अधिकांश मामलों में मानसिक उत्पीड़न प्रमुख रूप से सामने आया।
3. कई मामलों में शारीरिक हिंसा भी देखी गई।
4. महिलाएं सामाजिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज नहीं करातीं।
5. जागरूकता एवं शिक्षा की कमी इस समस्या का मुख्य कारण है।
6. दहेज की मांग विवाह के बाद भी निरंतर जारी रहती है।

- मैदान सर्वेक्षण के अनुसार दहेज प्रथा आज भी व्यापक रूप से विद्यमान है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है।

इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा रीवा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए मैदान सर्वेक्षण से प्राप्त किया गया, जबकि द्वितीयक डेटा पुस्तकों, रिपोट एवं समाचार पत्रों से संकलित किया गया।

डेटा संग्रह के लिए साक्षात्कार, अवलोकन एवं केस स्टडी विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन के अंतर्गत लगभग 50 उत्तरदात्रियों का चयन किया गया।

मैदान सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्लेषण किया गया।

संदर्भ

1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
2. भारतीय दंड संहिता धारा NCRB रिपोर्ट – Crime in India
4. समाजशास्त्र एवं विधि संबंधी पुस्तकें
5. स्थानीय समाचार पत्र (रीवा क्षेत्र)
6. मैदान सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार (स्वयं द्वारा)